National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Masters and Doctor of Philosophy degrees)

Ordinance, 2005

[Updated as on 15.5.2025]

Under Section 28 and 29 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998)

In pursuance, the Senate of National Institute of Pharmaceutical Education and Research has launched Master's Program and Doctor of

Programs offered by institutions related to the degree of Philosophy, admission to these programs, admission

Process, Fees to be paid by the student, Fellowship, Method of Evaluation, Semester

Registration, Attendance Requirements, Vacations, Coursework, Establishment of Various Committees,

To regulate programs relating to the adjudication of examining boards and degrees.

Makes the following Ordinance and directs that the said Ordinance shall, with effect from the date of its publication

will be involved, i.e.:—

1.Short name and commencement.-(1) This ordinance was approved by the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (P.D.

of Masters and Doctor of Philosophy) Ordinance, 2005.

2) Definitions:

(K) **Consultant**means any faculty member of the Institute who is entrusted with the research work of the student.

Appointed to look after,

(ि) **advisory board**means Departmental Academic Advisory Committee,

(c) **Bodus**means the Board of Examiners,

(d) **Board of Studies and Research**means the Board of Studies and Research of the Institute,

(e) **B.E or B.Tech**Means: Bachelor Degree in Engineering or Bachelor of Technology

Shadgri is,

(f) **B. famus**Means Bachelor of Pharmacy degree,

(six) **B.V.Sc.**means a Bachelor of Veterinary Science degree,

(h) **BAMS**means Bachelor's Degree in Ayurveda Medicines and Surgery,

(i) **candidate**means a person applying for admission to any academic program of the Institute

someone is busy,

(j) **CGPA**Means cumulative grade point average,

(t) **curriculum**Work means the work to be done by a student, made by the concerned department; The proposed and proposed courses of study are,

(l) **Shadgri**Ashbhapret Master of Pharmacy (M.Pharm.) Master of Technology in Pharmacy (M.Tech (Phys.)], Master of Science, (Physical Sciences), (M.S. (Phys.)), Master Off Business Administration Form

(M.B.A. (Pharm.)), and Doctor of Philosophy (Ph.D.), as applicable,

(d) **D.A.A.C.**means Departmental Academic Advisory Committee,

(n) **jeepette**means Graduate Pharmacy Aptitude Test (conducted by AICTE),

(o) **Gate**means graduate qualifications in engineering conducted by Indian Institutes of Technology; have an exam,

(त) **संस्थान**से अशभप्रेत साशहबजादा अशजत शसंह नगर, पंजाब, स्थस्थत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा

(र्थ) एवंि◌ोध संस्थान है,

संस्थान शवत्त पोशषि शवद्यार्थीसे अशभप्रेत संस्थान अध्येता का उपभोग करने वाला, कोई

He is a student,

(The) **joint advisor**Means the assistance of the advisor in completing the research work of the student. Additional faculty members/experts to assist and supervise student's research work To be appointed for,

(th) **Minimum registration period**means the minimum period during which a student can Registers oneself for submitting the research dissertation.

(No) **M.Sc.**Ashbhapret is a Master of Science from,

(Fifth note of musical scale) **M.Tech.**Ashbhapreet is a Master of Technology from,

(F) **net**means the University Grants Commission or the Council of Scientific and Industrial Research; The National Eligibility Test is conducted by

(b) **other institutions**means a college or university which offers a bachelor's degree or higher You offer Shadgri,

(bh) **sponsored student**A student is a student who has received a scholarship from any external organization. doing,

(m) **corpse student**means an individual who has entered for a specific educational programme has been registered,

(y) **Students are stirred up**Means the committee which monitors the progress of the student's research work. It's a ritual.

(3) General instructions-(1) Minimum qualifications for admission to various educational programmes, Section 5Will be as per the eligibility criteria specified by.

(2) Any student shall be required to pay the fees for the courses, as may be available, for the educational program under the Ordinance.To acquire minimum credit through medium and conduct research in the institute under the guidance of advisor.Work will be required. In special circumstances, a student may be permitted to undertake research outside the institution.The study and research to be completed will be permitted by the Board.

(3) A student shall be admitted to a particular master's degree program within the period prescribed under section 25.Necessary requirements must be met to be eligible.

(4) Ph.D. A student registered for the Program will be required to pay the minimum registration fee as per section 26.It would be necessary to satisfy the requirement of duration.

(5) Shaksi Ph.D. Date of admission of the student, date of his/her initial provisional registrationWill happen.

(6) If a student is pursuing his/her degree from any academic program or Ph.D. Within two years from registrationIf it gets suspended then the membership of that student will be terminated.

4. Proposed programme-MASTER PROGRAM FOR STUDENTS WITH FOLLOWING SPECIALIZATIONSare available which are detailed below. All educational programs as per calendarWill be of semester duration.

(a) Master of Science (Pharm.)/ Programme:
The following specialties will be offered:

(i) Medicinal Chemistry

(ii) Natural products

(iii) Traditional medicine

(iv) Drug autopsy

(v) Drug science and physical science

(vi) Regulatory expertise

(vii) Medicinal anatomy

(viii) Biotechnology

(ix) Pharmacoinformatics

(b) Master of Pharmacy Programme:
The following specialties will be offered:

(i) Pharmaceutical technology (formulation),

(ii) Pharmaceutical manufacturing business

(iii) Clinical research

(c) Master of Technology (Pharm.) Programme:
The following specialties will be offered:

(i) Pharmaceutical technology (chemical process),

(ii) Medicinal technology (biotechnology)

(d) Master of Business Administration (Pharm.) Programme: The following specialties will be offered:

(i) Shaviyya

(ii) Human resource management

(iii) Information systems management

(iv) cremation

(v) production

(e) Ph.D. Programs will be available on various subjects.

5) Sense for entry:

(a) Master of Science (Pharm.) Programme:

(i) medicinal chemistry anatomy
B. Famay.; M.Sc. (organic chemistry);

(ii) natural products
B. Famay.; M.Sc. (organic chemistry);

(iii) traditional medicine
B. Famay.; BAMS; M.Sc. (vegetative physiology);

(iv) Drug analysis
B. Famay.; M.Sc. (Carbohydrate Chemistry/Analytical Chemistry);**(v) medicine and body science**
B. Famay.; B.V.Sc.; M.B.B.S.;

(vi) regulatory science
B.Famay.; B.V.Sc.; M.Sc. (Drug Physiology/Body Physiology/Life Physiology/Bio Chemistry/Medical Biotechnology/Zoology); M.B.B.S.;

(vii) medicinal autopsy
B. Famay.;

(viii)biotechnology
B.Famay.; M.Sc. (biological physiology);

(ix) pharmacoinformagashtax

B.Famay.; B.Tech (Bioinformatics); M.Sc. (medical/medical/medicinal) Biology/Biochemistry/Biotechnology/Molecular Biology/Bioinformatics Physiognomy/Microbiological Physiology)

(b) Master of Pharmacy Programme:

(i) औषधीय (सूकीकर)
B. Famay.

(ii) Pharmaceutical surgery business
B. Famay.

(iii) clinical research
B. Famay.

(c) Master of Technology (Pharm.) Programme:

(i) औषधीय (रसायन)

B. Famay.; M.Sc. (Carbohydrate Chemistry) and B.Tech. (Rasyaan Ashbhayanshatraki) or equivalent. **(ii) Medicinal technology (biotechnology)**
B. Pharm., M.Sc. (life knowledge)

(d) Master of Business Administration (Pharm.) Programme:
B. Famay.; B.Tech. (Chemistry or equivalent) M.Sc. (Chemistry/Life Science).**(e) Ph.D. Program:**

Chemistry:

(i)
medicinal chemistry anatomy M.S. (Pharm.) (Chemistry/Natural Product);
M. Famay. (Medicinal Chemistry, Anatomy); M.Tech. (Famy.); (Bulk Drugs/Chemical Process); M.Sc. (organic chemistry);

(ii) natural products
M.S. Pharm., (Natural Products/Drugs Science/Traditional Medicine Science);
M. Famay. (Medicinal Chemistry/Pharmacy). M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs/Chemical Process), M.Sc. (organic chemistry);

(iii) pharmacoinformationtax
M.S. (Pharm.) (Pharmaecoinformatics/Medicinal Chemistry/Natural Products);M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs/Process Chemicals); M.Tech. (Bioinformatics); M.Sc.(Organic Chemistry / Physical / Medicinal Chemistry / Biochemistry / Biophysics/ Biotechnology / Microbiology);

(iv) औषधीय (प्रशक्रया रसायन)
M.S (Pharm.); M.Tech (Pharm.); M.Sc. (organic chemistry)

Biological knowledge:

(i) medicine and body science
M.S. (Famay.)/ M. Famay. / M.Tech (Pharm.) (Pharmaceutical Chemistry / Medicinal Chemistryphysical/natural Product/Drug And body breathing knowledge/breathing regulator bodyphysiology/formulation/biological Technological/Pharmaceutical/ formmyinformationtx;M.E./M.Tech./M.Sc. (Pharmacology/Biotechnology/Microtechnology/ComputationScience / Biochemistry / Earth Science / Zoology / Physiology / Life Science / MicrobiologyPhysiology/Obsessive Chemical Physiology/Medicinal Chemistry

Physiology); M.D.(Pharmacology);M.V.Sc. (Pharmacology/Pathology/Biotechnology); MCA;

(ii) biotechnology

M.S. (Form.)/M. Pharm./M.Tech (Pharm.) (Medicinal Chemistry/Medicinal Chemistry)Science/Natural Products/Pharmaceuticals and Toxicology/Formulations/Biotechnology/medicinal/pharmaceuticals);M.E./M.Tech./M .Sc. (bio technology/lifecognitive/computational mortuary knowledge; life chemical/vegetable dead body/creature psychology/bodyPhysiology/Life Physiology/Organic Chemical Physiology/Medicinal Physiology); M.V.Sc.;MCA;

(iii) Pharmaceutical surgery business

M. Famay. (Pharmaceutical Prescribing Business/Group Holding Business/Pharmaceutical Prescribing/clinical drugs)

(iv) औषधीय िकनीकी(biotechnology)

M.S. (Famy.); M. Famay.; M.Sc. (Jeevan Shavajnana); M.Tech (Pharm.) (Biotechnology)

Medicinal Anatomy:

(i) medicinal autopsy

एम.एस. (फामय.) (औषधीय शवश्लेषण); एम. फामय. (औषधीय शवश्लेषण); एम.एससी.(काबयशनक रसायन / शवश्लेषात्मक रसायन);

(ii) औषधीयशवज्ञान

एम.एस. (फामय.) (औषधीयशवज्ञान/जैव प्रौद्योशगकी/औषध िास्त्र), एम. फामय. (औषधीयशवज्ञान/ सूत्रीकरण); एम. टेक (फामय.) (जैव प्रौद्योशगकी) एम.टेक (जैव रसायनअशभयांशत्रकी/ जैव प्रौद्योशगकी / रसायन अशभयांशत्रकी)।

(iii) औषधीय (सूकीकरण)

एम.एस. (फामय.), (औषधीयिास्य / जैव प्रौद्योशगकी/औषध शवश्लेषण), एम. फामय.(औषधीय शवज्ञान/ सूत्रीकरण); एम. टेक (फामय.) (जैव प्रौद्योशगकी)।

जीपेट/गेट/नेट परीक्षा उिीणय करना सभी उम्मीदवारों के शलए अशनवायय हैं परन्तु येबी.वी.एस.सी/एम.वी एस.सी/एम.बी.बी.एस./एम.डी./बी.ए.एम.एस. शडग्री धारकों एवं शवदेिीनागररकों के शलए अशनवायय नहीं होगा।

अभ्यर्थी को अपनी पात्रता के शलए शडग्री काययक्रम में 10 अंकों के मापक्रम पर 6.75 संचयी ग्रेडशबंदु औसत या न्यूनतम 60 प्रशतित अंक होने चाशहए परन्तु अनुसूशचत जाशत एवं अनुसूशचतजनजाशत के अभ्यशर्थयों के शलए पात्रता 10 मापक्रम पर 6.25 संचयी ग्रेड शबंदु औसत यान्यूनतम 55 प्रशतित अंक होने चाशहए। शदव्यांग अभ्यशर्थयों के उम्मीदवारों के शलए पात्रता 10मापक्रम पर 5.75 संचयी ग्रेड शबंदु औसत या न्यूनतम 50 प्रशतित अंक होने चाशहए।

(6) प्रायोशजि अभ्यर्थी-

मास्टसय काययक्रमों की स्वीकृत सीटों के अशतररक्त पाँच प्रशतित सीटें सरकारी शवभागों / िोधऔर शवकास संगठन/ सावयजशनक क्षेत्रों के उपक्रमों/प्रशतशित शनजी औषध उद्यमों द्वाराWill be available for sponsored candidates.

प्रशतशित शनजी औषध उद्योगों से अशभप्राय वो उद्योग/सरकारी प्रायोशजत, एक टरस्ट, प्राईवेटशलशमटेड कंपनी, साझेदारी/एल.एल.पी. कम्पनी है। एक स्वशनयोशजत व्यस्थक्त / लघु उद्यमीशजसके पास औषध शवशनमायण का लाइसेंस हो तर्था फामाय यूशनट चलाने का 3 वषय

का अनुभवहो, स्वय: को स्वशनयोशजत कर सकता है। इसके शलए 3 वषय का आयकर ररटयन की योग्यतामान्य होगी। उद्योग / सरकारी प्रयोशजत उम्मीदारों के शलए 100 करोड रूपये का टनय ओवर(प्राईवेट शलशमटेड कंपनी के शलए), 10 करोड़ (साझेदार / सशमशत दाशयत्व भागीदारी के शलए), 2

करोड़ (स्वरोजगार व्यस्थक्त के शलए) हो। उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्थी जो अपनी भशवष्य शनशधशनयोक्ता कटवाता हो।

प्रायोशजत अभ्यर्थी से सामान्य/शनयशमत फीस की तुलना में दुगनी फीस ली जाएगी।

पाकिा की ि़िेे:

(K)न्यूनतम 60% कुल अंकों के सार्थ योग्यता शडग्री या 10 अंक के पैमाने पर 6.75 का संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत;

(ि)योग्यता शडग्री के बाद अपने प्रायोजक शनयोक्ता के संगठन में न्यूनतम दो वषय का प्रासंशगक कायय अनुभव। इन दो वषों के शलए वेतन शववरण की आवश्यकता होगी।

(c)प्रायोजक संगठन से एक वचनबद्धता के रूप में प्रायोजन प्रमाण पत्र शक प्रायोशजतकमयचारी को ड्यूटी पर माना जाएगा और इस संस्थान में अध्ययन/िोध की अवशध के शलएउसे सामान्य वेतन और भिे का भुगतान शकया जाएगा। ऐसे कमयचाररयों को अध्ययन/िोधके शलए शनयोक्ता द्वारा पूरी तरह से मुक्त कर शदया जाएगा।

(d)ऐसे अभ्यशर्थयों के शलए जीपीएटी/गेट/नेट उिीणय करने की अशनवाययता में छूट दी गई है;तर्था

(e)यशद कोई शनयोक्ता प्रायोजन वापस लेना चाहता है, ऐसे शनयोक्ता को वापसी के शलए ठोसकारण बताने की आवश्यकता होगी। इसके बाद शवद्यार्थी को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रिनेका अवसर शदया जाएगा। जहां डीन और शनदेिक संतुष्ट हैं शक शवद्यार्थी ने शनयोक्ता के सार्थसमझौते के शकसी भी शनयम और ितों का उिंघन शकया है, ऐसे व्यस्थक्त को संस्थान काशवद्यार्थी नहीं माना जाएगा। यशद शवद्यार्थी ने अपने शनयोक्ता के सार्थ समझौते के शकसी भीशनयम और ितों का उिंघन नहीं शकया है, उसे अपनी पढाई पूरी करने की अनुमशत दीजाएगी। शकसी भी स्थस्थशत में कोई िुल्क वापस नहीं शकया जाएगा। शवश्वशवद्यालय अनुदानआयोग, वैज्ञाशनक और औद्योशगक िोध पररषद, भारतीय शचशकत्सा िोध पररषद, शवज्ञानऔर प्रौद्योशगकी शवभाग, जैव प्रौद्योशगकी शवभाग और ऐसे अन्य संगठनों जैसे सरकारी /अधय-सरकारी संगठनों द्वारा शवि पोशषत पीएचडी शवद्यार्थी इस िंड में उस्थिस्थित पांचप्रशतित सीटों से अशधक होंगे।

7.शवदेिी राशष्ट्रकों को प्रवेि:

(K)मानव संसाधन शवकास मंत्रालय/शवदेि मंत्रालय, भारत सरकार की शसफाररि पर, शवशभन्नशवद्यार्थीवृशि योजनाओं के अंतगयत संबंशधत मंत्रालय द्वारा चयशनत पात्र शवदेिी राशष्ट्रकों केप्रवेि के शलए शवचार शकया जाएगा; तर्था

(ि)पात्र स्व-शवि पोशषत शवदेिी राशष्ट्रकों के संस्थान द्वारा प्रवेि के शलए प्रत्यक्षत: शवचार शकया जाएगा। इन अभ्यशर्थयों को शवदेि मंत्रालय, भारत सरकार से पूवय मंजूरी लेकर प्रवेि के शलए संस्थान से संपकय करना होगा।

(c)ये सीटें उपलब्ध सीटों से अशतररक्त होंगी।

8.आरक्षण:

राष्ट्रीय नीशत के अनुसरण में, सभी मास्टर काययक्रमों में शनम्नशलस्थित आरक्षण की अनुमशत होगी:

(K)अनुसूशचत जाशत के अभ्यशर्थयों के शलए; 15% सीटें;

(ि)अनुसूशचत जनजाशत के अभ्यशर्थयों के शलए: 7.5% सीटें और

(c)अन्य शपछड़ा वगय के अभ्यशर्थयों के शलए; 27% सीटें।

स्वीकृत क्षमता के अशतररक्त तीन प्रशतित सीटें शदव्यांग अभ्यशर्थयों के शलए आरशक्षत हैं, बिते शक एक शवषय में दो से अशधक शदव्यांग अभ्यशर्थयों को प्रवेि नहीं शदया जाएगा।

9.प्रवेि परीक्षा:

(K)सभी मास्टर काययक्रमों में प्रवेि के शलए एक प्रवेि परीक्षा आयोशजत की जाएगी ;

(ि)पीएच.डी. काययक्रमों के शलए एक अलग प्रवेि परीक्षा आयोशजत की जाएगी।

(c)प्रवेि पाने के इच्छुक शवद्यार्थी को प्रवेि परीक्षा में िाशमल होने के शलए शनधायररत प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा; तर्था

(d)शवशभन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों और संस्थान की वेबसाइट पर प्रवेि सूचना के प्रकािन के पश्चात शनधायररत प्रपत्र सूचना शववरशणका के सार्थ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

10.प्रवेि मानदंड:

(K)मास्टसस कायसक्रम :

(i)प्रवेि परीक्षा में योग्यता (मेररट) के आधार पर प्रवेि शदया जाएगा;

(ii)मास्टर ऑफ शबजनेस एडशमशनस्टरेिन (फामाय) के शलए प्रवेि परीक्षा में योग्यता (मेररट)और समूह चचाय और साक्षात्कार में प्रदियन के आधार पर प्रवेि शदया जाएगा; शजसकावेटेज शनम्नानुसार शनधायररत शकया जाएगा:

प्रवेि परीक्षा में योग्यता (मेररट) - 85%;

समूह चचाय एवं साक्षात्कार - 15%.

(b)पीएच.डी. कायसक्रम :

प्रवेि शनम्नशलस्थित वेटेज के आधार पर शकया जाएगा:प्रवेि परीक्षा में योग्यता (मेररट) - 85%;

साक्षात्कार में प्रदियन - 15%.

सभी अभ्यशर्थयों को प्रवेि के समय शनधायररत प्रपत्र में शचशकत्सा शफटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुतकरना होगा।

11.प्रवेि के शलए प्रशक्रया:

(K)मास्टसस कायसक्रम :

(i) पात्र अभ्यशर्थयों को प्रवेि के शलए व्यस्थक्तगत रूप से उपस्थस्थत होना होगा। अभ्यशर्थयों को साक्षात्कार और/या समूह चचाय में उपस्थस्थत होना अपेशक्षत होगा, जहााँ भी लागू हो;

(ii)अभ्याशर्थय की अनुपस्थस्थशत में कोई प्रवेि नहीं शदया जाएगा;

(iii)प्रवेि के शलए चयशनत अभ्यशर्थयों की सूची संस्थान के नोशटस बोडय और वेबसाइट पर प्रदशियत की जाएगी;

(iv)चयशनत अभ्यशर्थयों को अशधसूशचत तारीि एवं समय तक िुल्क एवं अन्य प्रभार जमा करना अपेशक्षत होगा;

(v)भुगतान चंडीगढ/एसएएस नगर के क्रॉस्ड बैंक डराफ्ट या काउंटर पर नकद शनदेिक, नाईपर के पक्ष में देय होगा;

(vi)यशद कोई अभ्यर्थी अशधसूशचत तारीि और समय तक फीस आशद जमा नहीं करता हैतो उसे सीट से वंशचत कर शदया जाएगा। सीट योग्यता (मेररट) सूची में अगले अभ्यर्थीको प्रदान कर दी जाएगी।

(vii)शवद्यार्थी को संस्थान के िैक्षशणक कैलेंडर में उस्थिस्थित अवशध में प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ से पहले रशजस्टरीकरण कराना होगा;

(viii)यशद शवद्यार्थी प्रवेि लेने तर्था फीस का भुगतान करने के पश्चात अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे केवल सुरक्षा राशि ही वापस की जाएगी।

(b)पीएच.डी. कायसक्रम :

(i) प्रवेि परीक्षा और साक्षात्कार में योग्यता (मेररट) के आधार पर प्रवेि शदया जाएगा;

(ii)अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय स्वयः उपस्थस्थत होना होगा;

(iii)अभ्यार्थी की अनुपस्थस्थशत में कोई प्रवेि नहीं शदया जाएगा;

(iv)िुल्क और अन्य प्रभारों का भुगतान अशधसूशचत तारीि और समय तक शकया जाना अपेशक्षत होगा;

(v) यशद कोई अभ्यर्थी शनधायररत तारीि और समय तक फीस आशद जमा नहीं करता है तो उसे सीट से वंशचत कर शदया जाएगा। सीट योग्यता (मेररट) सूची में अगले अभ्यर्थी को प्रदान कर दी जाएगी।

(vi)अभ्यर्थी को प्रवेि के समय पीएच.डी. काययक्रम के शलए अनंशतम रूप से रशजस्टरीकरण कराना होगा;

(vii)यशद शवद्यार्थी सफलतापूवयक पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है और शवस्तृत परीक्षा उिीणयकर लेता है, तो अस्थाई रशजस्टरीकरण प्रवेि की तारीि से स्थायी रशजस्टरीकरण मानाजाएगा;

(ix)यशद शवद्यार्थी प्रवेि लेने तर्था फीस का भुगतान करने के पश्चात अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे केवल सुरक्षा राशि ही वापस की जाएगी।

12.शवद्याशर्थसयों का वगीकरण:

संस्थान द्वारा प्रस्ताशवत शकसी भी काययक्रम में प्रवेि के शलए अभ्यर्थी को शनम्नशलस्थित में सेवगीकृत शकया जाएगा:

(K)संस्थान शवि पोशषत शवद्यार्थी;

(ि)प्रायोशजत शवद्यार्थी:

(i)सरकारी शवि पोषण एजेंशसयों, शवश्वशवद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञाशनक औरऔद्योशगक िोध पररषद, भारतीय आयुशवयज्ञान िोध पररषद, शवज्ञान और प्रौद्योशगकीशवभाग, जैव प्रौद्योशगकी शवभाग और ऐसे अन्य सरकारी संगठन से अध्येतावृशि(फैलोशिप) प्राप्त करने वाले शवद्यार्थी।

(ii)सरकारी शवभागों/िोध एवं शवकास संगठनों/सावयजशनक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रशतशित शनजी औषध उद्यमों/शवदेि मंत्रालय द्वारा प्रायोशजत शवद्यार्थी।

13.अध्येिावृशत्त (फैलोशिप):

(K)सभी संस्थान शवि पोशषत शवद्यार्थी अध्येतावृशि (फैलोशिप) के पात्र होंगे;

(ि)अध्येतावृशि (फैलोशिप) का अनुदान सीनेट द्वारा शनधायररत शनयमों और ितों द्वारा िाशसतwill be;

(c)मास्टसय काययक्रम के शलए पंजीकृत शवद्यार्थी को अशधकतम चार सेमेस्टर के शलएअध्येतावृशि (फैलोशिप) शमलेगी। इसमें शपछला रशजस्टरीकरण (यशद कोई हो) भी िाशमलwill be;

(d)पीएच.डी. काययक्रम के शलए पंजीकृत संस्थान द्वारा शवि पोशषत शवद्याशर्थयों को अशधकतम पांच वषय की अवशध के शलए अध्येतावृशि (फैलोशिप) शमलेगी;

(e)संस्थान द्वारा शवि पोशषत शवद्याशर्थयों के शलए अध्येतावृशि (फैलोशिप) का नवीनीकरणमास्टर काययक्रम के शवद्याशर्थयों के सार्थ-सार्थ पीएच.डी. शवद्याशर्थयों के शलए प्रत्येक सेमेस्टरमें शकया जाएगा; तर्था पीएच.डी. शवद्याशर्थयों के शलए शवस्तृत परीक्षा के बाद प्रत्येक वषय शकयाWill go.

(f)यशद शकसी भी स्तर पर फैलोशिप प्राप्त करने वाले शवद्यार्थी की प्रगशत और आचरणसंतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अध्येतावृशि (फैलोशिप) शनलंशबत/समाप्त कर दीजाएगी। हालांशक, शवद्यार्थी के स्थिलाफ कोई भी प्रशतकूल कारयवाई िुरू करने से पहले उसेअपना पक्ष रिने के शलए अवसर शदया जाएगा; और,

(six)संस्थान एमबीए (फामाय) काययक्रम के दूसरे, तीसरे और चौर्थे सेमेस्टर के तीन शवद्याशर्थयों कोशवीय सहायता प्रदान करेगा। शवीय सहायता शपछले सेमेस्टर में योग्यता (मेररट) केआधार पर दी जाएगी:

बिते शक यशद धारा 13(छ) के अनुसार समान योग्यता (मेररट) के कारण तीन सेअशधक शवद्यार्थी शवीय सहायता के शलए पात्र पाए जाते हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के शलएअध्येतावृशि (फैलोशिप) प्रदान करने के शलए योग्यता (मेररट) का शनधायरण जीपीए औरप्रवेि योग्यता (मेररट) के आधार पर शकया जाएगा तर्था अगले सेमेस्टर में जीपीए, सीजीपीएऔर प्रवेि योग्यता (मेररट) के आधार पर, जो भी लागू हो, शनणय शलया जाएगा।

14.रशजस्टरीकरण का नवीनीकरण:

(K)यशद शवद्यार्थी िोध सशमशत इस बात से संतुष्ट् है शक शवद्यार्थी ने आवश्यक संख्या मेंपाठ्यक्रम/क्रेशडट पूरे कर शलए हैं और/या िोध कायय में प्रगशत संतोषजनक है, तो ऐसेशवद्यार्थी को अपना रशजस्टरीकरण नवीनीकृत करने की अनुमशत प्रदान की जाएगी। मास्टसयशवद्याशर्थयों के शलए यह मूल्ांकन तीसरेऔर चौर्थे सेमेस्टरमें होगा । पीएच.डी. शवद्याशर्थयोंके शलए, रशजस्टरीकरण शवस्तृत परीक्षा के बाद प्रत्येक वषय होगा;

(ि)सेमेस्टर िुरू होने से पहले प्रत्येक शवद्यार्थी को संस्थान द्वारा शनधायररत प्रशक्रया औरकाययक्रम के अनुसार व्यस्थक्तगत रूप से रशजस्टरीकरण का नवीनीकरण करना होगा।शवद्यार्थी को रशजस्टरीकरण के नवीनीकरण के समय फीस और अन्य िुल्क जमा करनाwill be;

(c)शवद्यार्थी को रशजस्टरीकरण के नवीनीकरण के समय लेिा शवभाग के सार्थ-सार्थ छात्रावासवाडयन से 'अदेयता' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(d)रशजस्टरीकरण के शवलंशबत या अनुपस्थस्थशत नवीनीकरण की अनुमशत नहीं दी जाएगी।हालांशक, शवभागीय असाइनमेंट/प्रशिक्षण आशद जैसी शविेष पररस्थस्थशतयों में डीन,पररस्थस्थशतयों से संतुष्ट् होने के बाद, रशजस्टरीकरण के शवलंशबत या अनुपस्थस्थशत नवीनीकरणकी अनुमशत प्रदान कर सकेगा। कक्षाएं/सेमेस्टर िुरू होने के 10 शदन बाद रशजस्टरीकरणके नवीनीकरण की अनुमशत नहीं दी जाएगी; तर्था

(e)जो शवद्यार्थी अशधसूशचत तारीि तक रशजस्टरीकरण नवीनीकृत कराने में असमर्थय रहता है,उसे संस्थान का शवद्यार्थी नहीं माना जाएगा।

15.रशजस्टरीकरण रद्द करना:

शवद्यार्थी का शनम्नशलस्थित में से शकसी भी एक पररस्थस्थशत में रशजस्टरीकरण रद्द कर शदया जाएगा:

(K)यशद शवद्यार्थी शबना शकसी पूवय सूचना/अवकाि मंजूर शकए शबना चार सप्ताह की लगातार अवशध के शलए अनुपस्थस्थत रहता है;

(ि)यशद शवद्यार्थी शकसी सेमेस्टर में रशजस्टरीकरण नवीनीकृत करने में शवफल रहता है;

(c)यशद शवद्यार्थी परीक्षा उिीणय करने में असफल हो जाता है

(d)यशद शवद्यार्थी ने कदाचार/अनुिासनहीनता के कायय में अंतशनयशहत पाया जाता है;

(e)यशद शवद्यार्थी का िैक्षशणक प्रदियन असंतोषजनक पाया जाता है; और

(f)यशद शवद्यार्थी काययक्रम से त्याग-पत्र देता है और उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर शलया गयाIs. बिते शक उपधारा (क) से (ङ) को लागू करने से पहले शवद्यार्थी को सुनवाई का अवसरशदया जाएगा।

16.उपस्थस्थशि:

(K)शवद्यार्थी से प्रत्येक शवषय के प्रत्येक व्याख्यान और प्रायोशगक कक्षा में उपस्थस्थत होनाअपेशक्षत है। हालांशक, सेमेस्टर-की अंशतम परीक्षा में भाग लेने के शलए परीक्षा शवद्यार्थी कोआयोशजत व्याख्यानों और प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रायोशगक कक्षाओं में से 75% में उपस्थस्थशतहोना अशनवायय है;

(ि)यशद शवद्यार्थी धारा 24(ग) के अंतगयत दोबारा परीक्षा में बैठता है, तो उसे अगले बैच केशनयशमत शवद्याशर्थयों के सार्थ कक्षाओं में उपस्थस्थत होना होगा और उपस्थस्थशत की अपेक्षाउपयुयक्त (क) के अनुसार होगी; तर्था

(c)यशद शवद्यार्थी धारा 24(ि) के अंतगयत दोबारा परीक्षा में बैठता है, तो उसे कक्षाओं मेंउपस्थस्थत होने की आवश्यकता नहीं होगी।

17.अवकाि:

(K)मास्टसय शवद्यार्थी चार सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के दौरान सामान्य अवकािों के अशतररक्त 45 शदनों के अवकाि के पात्र होगें;

(ि)पीएच.डी. शवद्यार्थी एक वषय में सामान्य अवकािों के अशतररक्त 30 शदन के अवकाि केपात्र होगें;

(c)शवद्यार्थी को डीन की पूवय स्वीकृशत से िैक्षशणक बैठकों, प्रशिक्षण, सम्मेलनों और संगोशियोंमें भाग लेने के शलए अध्येतावृशि (फैलोशिप) सशहत अवकाि शदया जाएगा;

(d)अध्येतावृशि (फैलोशिप) प्राप्त करने वाले शवद्यार्थी शकसी भी प्रकार के अवकािों जैसे ग्रीष्म, िीत आशद के शलए पात्र नहीं होंगे;

(e)शवद्यार्थी उपरोक्त (क) अवकाि के अशतररक्त 10 शदन के शचशकत्सा अवकाि के शलए पात्रहोंगे; तर्था

(f)मशहला शवद्यार्थी अपनी शवद्यार्थीवृशि के दौरान एक बार 30 शदन के अवकाि के अशतररक्त अध्येतावृशि (फैलोशिप) के सार्थ 3 महीने के मातृत्व अवकाि के शलए भी पात्र होगी;

(six)सलाहकार की शसफाररि पर शवभागाध्यक्ष द्वारा अवकाि प्रदान शकया जाएगा।

(h)प्रत्येक शवभाग प्रत्येक शवद्यार्थी के अवकाि का लेिा रिेगा।

(i)प्रायोशजत श्रेशणयों (सीएसआईआर/यूजीसी/डीएसटी/आईसीएमआर/डीबीटी आशद) केअंतगयत पीएच.डी. शवद्यार्थी, शवीय सहायता प्रदान करने वाली शवि पोषण एजेंशसयों केशनयमों द्वारा िाशसत होगें।

18.पाठ्यक्रम कायस और मूल्ांकन:

(K)पाठ्यक्रम कायस:

(i)संस्थान में अध्ययन काययक्रम क्रेशडट प्रणाली पर आयोशजत शकया जाएगा;

(ii)प्रत्येक पाठ्यक्रम में शनशश्चत संख्या(यों) में क्रेशडट होंगे जो उसके वेटेज का वणयन करेंगे;

(iii)शवद्यार्थी द्वारा अशजयत क्रेशडट की संख्या उसके प्रदियन का शनधायरण करेगी;

(iv)प्रत्येक पाठ्यक्रम के शलए एक संकाय सदस्य पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में कायय will do;

(v) पाठ्यक्रम समन्वयक पाठ्यक्रम के संचालन, परीक्षा आयोशजत करने, असाइनमेंट का मूल्ांकन करने और ग्रेड देने में िाशमल अन्य संकाय सदस्यों के कायय का समन्वय करने के शलए शजम्मेदार होगा;

(vi)शडग्री में अहयता प्राप्त करने के शलए न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट की आवश्यकता होगी; तर्था

(vii)शवद्यार्थी को उस पाठ्यक्रम से संबंशधत शकसी भी मामले के संबंध में पाठ्यक्रम समन्वयक से संपकय करना होगा।

सलाहकार की शसफारिर और पाठ्यक्रम समन्वयक की सहमशत पर, पीएच.डी. शवद्यार्थीको पाठ्यक्रम(मों) जोड़ने या हटाने की अनुमशत होगी।

(b)मूल्ांकन:

(i)शवद्यार्थी को प्रत्येक शलस्थित पाठ्यक्रम के शलए दो शलस्थित परीक्षाएं, एक मध्यावशधपरीक्षा और अन्य अंशतम-अवशध परीक्षा देना अशनवायय होगा। इन पाठ्यक्रमों के शलए20% अंक मध्यावशध परीक्षा के शलए तर्था 20% अंक आंतररक मूल्ांकन और 60%अंक अंशतम सेमेस्टर परीक्षा के शलए शनधायररत शकए गए है।

(ii)शवद्यार्थी के प्रयोगिाला कायय, काययिालाओं और होम असाईन्मेन्ट का मूल्ांकन शकया Will go.

(iii)शवद्यार्थी को मध्यावशध एवं अंशतम अवशध की परीक्षा, प्रयोगिाला कायय, काययिाला कायय और होम असाईन्मेन्ट के आधार पर ग्रेड प्रदान शकया जाएगा;

(iv)यशद सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रम के शलए प्रत्येक सप्ताह एक व्याख्यान शनधायररतशकया गया है, तो उस व्याख्यान को एक क्रेशडट शदया जाएगा। हालाँशक, कुछपाठ्यक्रमों को अशधकतम तीन क्रेशडट शदए जा सकते है;

(v)जहां शकसी शविेष पाठ्यक्रम(मों) के शलए तीन क्रेशडटों से अशधक वाले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, तो अध्ययन और िोध बोडय की पूवय स्वीकृशत अशनवायय है;

(vi)जहाँ प्रयोगिाला और प्रायोगात्मक पाठ्यक्रम(मों) के शलए साधारण रूप से प्रत्येकसप्ताह में पांच घंटों का एक सत्र होगा, उस पाठ्यक्रम(मों) का एक क्रेशडट होगा।इसको पररवशतयत करने के शलए, अध्ययन और िोध बोडय की पूवय स्वीकृशत लेनीअशनवायय होगी।

(vii)यशद कोई शवद्यार्थी शकसी परीक्षा में अनुपस्थस्थत रहता है, तो उसे 'एफ' ग्रेड प्रदान शकया जाएगा।

19.ग्रेशडंग प्रणाली:

अक्षर ग्रेड और उनके समकक्ष ग्रेड अंक नीचे शदए गए हैं:-

ग्रेड	ग्रेड शबंदु	प्रदिसन
ए	10	शवशिष्ट्

ए(-)	9	उत्कृष्ट्
बी	8	बहुत उिम
बी(-)	7	उिम
सी	6	औसत
सी(-)	5	औसत से कम
डी	4	सीमांत
इ	2	अपकृष्ट्
एफ	0	अशत अपकृष्ट्/अनुपस्थस्थत/कम उपस्थस्थशत
I	-	अपूणय
एन	-	संपरीक्षा उिीणय
एनई	-	संपरीक्षा अनुि्िीणय
डब्ल्यू	-	हटना
एक्स	-	जारी रहना (केवल मास्टसय ि्ोध पररयोजना)
एस	-	व्यावहाररक प्रशिक्षण का संतोषजनक समापन
जेड	-	व्यावहाररक प्रशिक्षण पूरा न होना

ग्रेड पॉइंटऔसत (जीपीए)= (क्रेशडटों की संख्या x ग्रेड पॉइंट)/क्रेशडट

ग्रेड पॉइंट औसत की संगणना के शलए केवल वे पाठ्यक्रम(मों), शजसके अंतगयत उनपररयोजनाओं को शहसाब में शलया जाएगा शजनमें शवद्यार्थी को ए, बी, सी या डी ग्रेड प्रदानशकया गया हो।

20.ग्रेड:

(K)यशद शकसी शवद्यार्थी ने व्याख्यान/ट्यूटोररयल/या प्रयोगिाला की कक्षाओं में 50% सेअशधक लेशकन 75% से कम उपस्थस्थशत दजय की है, तर्था पाठ्यक्रम की योग्यताओं को पूराकरने में शबमारी की वजह से, दुघयटना/ शकसी अनहोनी की वजह से या अन्य शकसीआवश्यक कारणवि वो सेमेस्टर की अशनवाययताओं को पूरा नहीं कर पाया हो तो शवद्यार्थीको 'आई' ग्रेड के शलए पाठ्यक्रम समन्वयक को एक आवेदन देना पड़ेगा। बीमारी केकारण के शलए आवेदन पत्र के सार्थ संस्थान के शचशकत्सा अशधकारी से शचशकत्सा प्रमाण पत्रभी संलग्न करना होगा। परन्तु, यशद शवद्यार्थी संस्थान के बाहर बीमार हुआ है तो शचशकत्साप्रमाण पत्र उनको शचशकत्सा अशधकारी शजसका रैंक शजले के उप शचशकत्सा अशधकारी सेकम नहीं हों, से प्रमाशणत होना अशनवायय है।

यशद संबंशधत पाठ्यक्रम समन्वयक मामले की पररस्थस्थशतयों को सही मानता है तो वहशवभागाध्यक्ष के परामिय से शवद्यार्थी को उन शवषयों पर असाइनमेन्ट देकर उपस्थस्थशत कीअपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमशत देगा शजनमें शवद्यार्थी ने भाग नहीं शलया है। ऐसेअसाइनमेन्ट का ररकाडय रिा जाएगा। शफर पाठ्यक्रम समनव्यक शवभागाध्यक्ष को 'आई'ग्रेड देने के मामले में शसफाररि करेगा। शवभागाध्यक्ष मामले को डीन के पास भेजेंगे।

(ि)यशद शकसी शवद्यार्थी की उपस्थस्थशत 75% से अशधक हैं लेशकन वह शकसी बीमारी या दुघयटनाया शकसी अनहोनी या शकसी आवश्यक कायय के कारण वह अंशतम सेमेस्टर परीक्षा मेंउपस्थस्थत होने में असमर्थय र्था तो शवद्यार्थी को 'आई' ग्रेड की श्रेणी के शलए पाठ्यक्रमसमन्वयक आवेदन देना होगा। बीमारी के कारण के शलए आवेदन पत्र के सार्थ यर्थाउपरोक्त (क) के अनुसार शचशकत्सा अशधकारी से शचशकत्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न करनापड़ेगा। यशद पाठ्यक्रम समन्वयक मामले के तथ्ों से संतुष्ट् है तो वह आवेदन

कोशवभागाध्यक्ष को अग्रेशषत करेगा। उसे शवभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुशत के शलएभेजा जाएगा।

(c)संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त शवद्यार्थी को 'आई'ग्रेड प्रदान शकया जाएगा तर्थाइसकी एक अशधसूचना जारी की जाएगी। अशधसूचना की एक प्रशत प्रबंधकाररणी सशमशत(सीनेट) को पुशष्ट् के शलए भेजी जाएगी।

(d)यशद शकसी शवद्यार्थी को 'आई'ग्रेड प्रदान शकया गया है, तो वह मध्यावशध परीक्षा के समाप्तहोने के बाद 10 शदनों की अवशध में अंशतम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ सकता है औरशवद्यार्थी को सामान्य ग्रेड प्रदान शकया जाएगा।

21.लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम:

यशद शवद्यार्थी पंजीकृत काययक्रमों के अलावा शकसी अन्य शवषय(यों) का ज्ञान प्राप्त करना चाहताहैं तो इस संबंध में उसको समन्वयक और सलाहकार की अनुमशत लेनी होगी। यशद पाठ्यक्रमसमन्वयक को लगता हैं शक शवद्यार्थी को उक्त शवषय की जरूरत हैं तो वह ऐसे पाठ्यक्रम(मों)के लेिा परीक्षा के शलए शवद्यार्थी को अनुमशत प्रदान करेगा बिते ऐसे पाठ्यक्रम(मों) संस्थान मेंप्रस्ताशवत शकए जा रहे हैं। 75% उपस्थस्थशत दजय करना अशनवायय होगा और शवद्यार्थी को इसकेशलए 'एन' या 'एनई' ग्रेड प्रदान शकया जाएगा।

22.डब्ल्यू- ग्रेड:

(K)यशद शवद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में शकसी कारणवि असमर्थय है जो उसके विमें नहीं हैं, तो ऐसे शवद्यार्थी को पाठ्यक्रम छोड़ने के शलए संकायाध्यक्ष से अनुमशत लेनीWill happen.

(ि)यशद संकायाध्यक्ष मामले से संतुष्ट् है तो नाम वापसी की अनुमशत के शलए शनदेिक से मामले की शसफारिि करेगा।

(c)यशद शनदेिक इस तरह के पाठ्यक्रमों से शवद्यार्थी को हटने के शलए अनुमशत देता है तो इस तरह के शवद्यार्थी को 'डब्ल्यू' ग्रेड में रिा जाएगा।

(d)आहरण की प्रशक्रया मास्टर िोध पररयोजना के शलए लागू नहीं होगी।

(e)शवद्याशर्थयों को शजन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव शदया जा रहा हैं, उन्हें वे पाठ्यक्रम सभी प्रकार से पूरा करना पड़ेगा।

(f)यशद शवद्यार्थी सफलतापूवयक पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे शनयशमत ग्रेड पूरे करने पड़ेगें।

23.एक्स ग्रेड -

(K)यशद शवद्यार्थी बीमारी, उपकरण/सलाहकार की अनुपलब्धता के कारणों से मास्टसय िोधपररयोजना को पूरा करने में असमर्थय है, तो सलाहकार शवभागाध्यक्ष से सलाह करने केउपरान्त, शवभागाध्यक्ष ऐसे शवद्यार्थी को 'एक्स' ग्रेड प्रदान करने के शलए संकायाध्यक्ष सेशसफारिि करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त शवद्यार्थी को 'एक्स' ग्रेड प्रदानशकया जाएगा; और

(ि)उपरोक्त (क) के अनुसार यशद शवद्यार्थी पररयोजना का कायय छह माह के भीतर पूरा करलेता तो उसके कायय का मूल्ांकन शकया जाएगा और शवद्यार्थी को शनयशमत ग्रेड प्रदानशकया जाएगा।

24.परीक्षा की पुनरावृशत्त :

(K)शनम्नशलस्थित कारणों पर शवद्यार्थी को शलस्थित पाठ्यक्रम में परीक्षा की पुनरावृशि की अनुमशत दी जाएगी।

(ि)यशद पर शवद्यार्थी दो या कम पाठ्यक्रमों में 'ई' या 'एफ' या दोनों ग्रेड(डों) प्राप्त करता है,तोउसे परीक्षा की पुनरावृशि करनी होगी। यह परीक्षा मध्यावशध परीक्षा के समाप्त होने के10 शदनों के भीतर होगी।

(c)यशद पर शवद्यार्थी को शकसी भी शलस्थित पाठ्यक्रम में 'ई' या 'एफ' ग्रेडनहीं शमलता है लेशकनउसका संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 6.00 से कम है तो उसे ग्रेड सुधार के शलए अशधकतम दोपाठ्यक्रम की परीक्षा पुनरावृशि का मौका शदया जाएगा;

(d)यशद शवद्यार्थी की उपस्थस्थशत 75% या उससे अशधक है और 'आई' ग्रेड में शदए गए कारणों कीवजह से वह परीक्षा देने में असमर्थय है तो शवद्यार्थी को अंशतम सेमेस्टर परीक्षा, जब कभी भीवैसी परीक्षा संचाशलत की जाएगी, तब शवद्यार्थी का उसमें उिीणय होना अशनवायय होगा।शवद्यार्थी को दोबारा कक्षा में उपस्थस्थत होने की आवश्यकता नहीं होगी और अशग्रमसेमेस्टर(रों) में उसका पाठ्यक्रम सुचारु रूप से चलता रहेगा।

(e)यशद शवद्यार्थी की उपस्थस्थशत 75% से कम हैं और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमशत नहीं दीजाती है, तो जब भी वह पाठ्यक्रम संचाशलत शकया जाएगा तो वह अपने पाठ्यक्रम कीपुनरावृशि करनी पड़ेगी।

(f)यशद शकसी शवद्यार्थी को शकसी भी सेमेस्टर में दो पाठ्यक्रमों से अशध में उसे 'एफ' ग्रेडशमलता हैं तो उसे अपने अध्ययन से हटना होगा और उसे संस्थान का शवद्यार्थी नहीं मानाWill go.

(six)यशद कोई शवद्यार्थी अपने संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट में सुधार करना चाहता है तो उसे उससेमेस्टर में दो से ज्यादा शलस्थित पाठ्यक्रम में अंक सुधारने की अनुमशत नहीं दी जाएगी।

(h)पुनरावृशि परीक्षा में शदया गया ग्रेड ही अंशतमम ग्रेड होगा।

(i)ग्रेड सुधार परीक्षा से प्राप्त अंक को पुरस्कार सूची में शवशनशदयष्ट् शकया जाएगा।

(j)ग्रेड सुधार परीक्षा के शवद्यार्थी मेररट पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे शवद्याशर्थयोंको मेररट सूची में उन शवद्याशर्थयों से नीचे स्थान शदया जाएगा शजन्होंने अपने पहले ही प्रयासमें परीक्षा उिीणय की हैं।

25.मास्टर शडग्री प्राप्त करने के शलए पाकिा मानदंड:

(K)फामेसी में मास्टर/ प्रौद्योशगकी में मास्टर (फामस.)/ शवज्ञान में मास्टर (फामस.):

(i)मास्टर शडग्री प्राप्त करने के शलए न्यूनतम 50 क्रेशडट अशनवायय हैं। इसमें से 30 क्रेशडट पाठ्यक्रम कायय और 20 क्रेशडट पररयोजना कायय के शलए शनधायररत शकए गए हैं।

(ii)फामायकोइन्फॉमेशटक्स काययक्रम में मास्टर शडग्री प्राप्त करने के शलए न्यूनतम 50 क्रेशडटपूरा करना अशनवायय होगा। इसमें से 36 क्रेशडट पाठ्यक्रम कायय के शलए और 14 क्रेशडटपररयोजना कायय के शलए शनधायररत शकए गए है।

(b)मास्टर ऑफ शबजनेस एडशमशनस्टरेिन (फामस.):

(i) मास्टर शडग्री प्राप्त करने के शलए न्यूनतम 100 क्रेशडट पूरे करने होंगे। शजसमें से 86 क्रेशडट पाठ्यक्रम कायय, 12 क्रेशडट पररयोजना कायय के शलए तर्था 2 क्रेशडट ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के शलए शनधायररत शकए गए हैं।

(ii) न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.00 अपेशक्षत हैं।

(iii)

यशद पुनरावृशि की अशधकतम संख्या का लाभ उठाने के बाद शवद्यार्थी पाठ्यक्रम(मों) उिीणय करने में असमर्थय रहता है या न्यूनतम संचयी औसत अंक अशजयत करने में शवफल

रहता है तो शवद्यार्थी को अपना काययक्रम छोड़ना पड़ेगा।

(iv) शवद्यार्थी द्वारा सफलतापूवयक पाठ्यक्रम का कायय पूरा करने के बाद और ि◌ोध कायय के सफल समापन पर शवद्यार्थी ि◌ोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा;

(v) ि◌ोध प्रबंध कायय का मूल्◌्◌ांकन और मास्टर शडफेंस की परीक्षा सफलतापूवयक उिीणय करने के उपरांत शवद्यार्थी शडग्री प्राप्त करने का पात्र होगा।

(vi) मास्टर काययक्रम पूरा करने की अशधकतम अवशध काययक्रम में ि◌ाशमल होने की शतशर्थ से तीन वषय की होगी।

26.पीएच.डी. शडग्री प्राप्त करने के शलए पाकि मानदंड:

(K)शजन शवद्याशर्थयों ने संस्थान से एम.एस. (फामय) की शडग्री प्राप्त की है उनको न्यूनतम 12 डॉक्टरल पाठ्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता है।

(ि◌)शजन शवद्याशर्थयों ने अन्य संस्थानों से अपनी शडग्री प्राप्त की है उन छात्रों को न्यूनतम 28 क्रेशडटपूरे करने अशनवायय होंगे शजसमें से 16 क्रेशडट शविैषज्ञता और ि◌ेष 12 क्रेशडट डॉक्टरलपाठ्यक्रम पूरे करने अपेशक्षत हैं।

(c)शजन शवद्याशर्थयों ने पहले ही समान पाठ्यक्रम में मास्टर शडग्री में शवशिष्ट्ता ले री है, तर्थानाईपर और डेक,पूवय संस्थान से पूरी तरह से मूल्◌्◌ाशकत करने के बाद, उन छात्रों को कुछशवशिष्ट् पाठ्यक्रमों में छूट प्रदान की जाएगी ।

(d)शवद्याशर्थयों को न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.50 प्राप्त करना होगा।

(e)यशद संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.00 और 6.50 के बीच है तो शवद्यार्थी को संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.50 को प्राप्त करने के शलए अशधक पाठ्यक्रमों को लेना होगा।

(f)यशद कोई शवद्यार्थी संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 6.00 से कम प्राप्त करता हैं तो उसे यह पाठ्यक्रम छोड़ना होगा।

(six)यशद कोई शवद्यार्थी शलस्थित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करता हैं तो उसे शवस्तार परीक्षा में बैठना होगा।

(h)शवद्यार्थी को शवस्तृत परीक्षा उिीणय करने के शलए दो मौके शदए जाएंगे। बिते दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में नहीं होंगे।

(i)यशद कोई शवद्यार्थी सफलतापूवयक शवस्तृत परीक्षा उिीणय करता है, तो उसका अस्थायी पी.एच.डी रशजस्टरीकरण स्थायी माना जाएगा।

(j)रशजस्टरीकरण की अवशध तीन वषय से कम नहीं होगी। शफर भी शकन्हीं शवशिष्ट् मामलों में रशजस्टरीकरण की अवशध दो वषय होगी।

(t)ि◌ोध कायय के सफलतापूवयक समापन पर, शवद्यार्थी को अपना शनबंध ि◌ोध जमा करवाना होगा।

(l)ि◌ोध कायय के मूल्◌्◌ांकन तर्था शनबंध ि◌ोध शडफेंस परीक्षा को सफलतापूवयक उिीणय करने पर, शवद्यार्थी शडग्री प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

27.सशमशियां:

ि◌ैक्षशणक प्रिासन हेतु शनम्नशलस्थित सशमशतयां गशठत की जाएगी:

(K)अध्ययन एवं ि◌ोध बोडस:

बोडय नए पाठ्यक्रमों आरंभ करनेशवद्यमान पाठ्यक्रम संरचना में सुधार तर्था पाठ्यक्रम केपुनरीक्षण/अद्यतन की व्यवहाययता के शलए शवचार एवं सुझाव देगा। इसके अशतररक्त बोडयशवद्यार्थी से संबंशधत प्रवेि◌, पाठ्यक्रमों का संचालन, जांच/मूल्◌्◌ांकन प्रशक्रया एवं शवद्यार्थी ि◌ोधसशमशत द्वारा की गई शसफारिरों की देि◌-रेि◌ करेगा। जहां कहीं आवश्यक हो,

संकायसदस्यों/शविेषज्ञों की राय लेने के शलए सदस्यों/शविेषज्ञों की बैठक आयोशजत की जाएगी। इसबैठक हेतु शविेष संकाय सदस्य 'अशतशर्थ' के रूप में बुलाए जाएंगे। बोडय का गठन इस प्रकारहोगा:

(i) संकायाध्यक्ष अध्यक्ष
(ii) शवभागाध्यक्ष सदस्य
(iii) तीन शविेषज्ञ क्रमि: जो रसायन शवज्ञान,
जीव शवज्ञान और औषध शवज्ञान से संबंशधत हो सदस्य(iv)
उपकुलसशचव (िैक्षशणक एवं परीक्षा) गैर सदस्य सशचव

(b)शवभागीय िैक्षशणक सलाहकार सशमशि:

सलाहकार सशमशत शवभाग द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को अध्यतन करेगी,नए पाठ्यक्रम तैयार करेगी, नए पाठ्यक्रम िुरु करने की व्यवहाययता की जांच करेगी औरबोडय ऑफ स्टडीज को आगे शवचार करने के शलए प्रेशषत करेगी। सशमशत का गठन इस प्रकारहोगा:

(i)शवभागाध्यक्ष
अध्यक्ष(ii)संबंशधत शवभाग के अशतररक्त अन्य शवभाग से एक संकाय
सदस्य,
संकायाध्यक्ष द्वारा शनयुक्त शकया जाएगा
(iii)इस सदस्य का काययकाल दो वषय का होगा; एवं
सदस्य(iv)शवभाग द्वारा नाशमत दो बाह्य शविेषज्ञ
सदस्य

(c)शवद्यार्थी िोध सशमशि:

यह सशमशत शवद्याशर्थयों के िैक्षशणक शक्रयाकलापों का प्रबंधन और शनगरानी करेगी। सार्थ हीशवद्याशर्थयों के िोध कायों की शनगरानी एवं मूल्ांकन भी करेगा। सशमशत का गठन इसप्रकार होगा:

i)Consultant
अध्यक्षii)शव
भागाध्यक्ष
सदस्यiii)शव
भाग से इस क्षेत्र में एक शविेषज्ञ
सदस्यiv)अ
न्य शवभाग से एक संबंशधत संकाय सदस्य, संकायाध्यक्ष द्वारा नाशमत सदस्य

बिते शक यशद शवभागाध्यक्ष प्रमुि सलाहकार हैं तर्था संबंशधत शवभाग के अन्य संकाय सदस्य,सदस्य होंगे।

संकायाध्यक्ष (क) पर दी गई सशमशत गशठत करने के शलए अशधसूचना जारी करेगा जबशक(ि), (ग) पर दी गई सशमशत के शलए संबंशधत शवभागाध्यक्ष अशधसूचना जारी करेगा।

अशधसूशचत सशमशत के तीन-चौर्थाई सदस्य का गठन करेंगे।

28.िोध प्रस्ताव और व्यापक परीक्षा:

(K)यशद शकसी पी.एच.डी. शवद्यार्थी ने पाठ्यक्रम कायय पूरा कर शलया है तो उसे शवद्यार्थी िोधसशमशत के समक्ष िोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। शवद्यार्थी को िोध के व्यापक क्षेत्र

मेंअपनी क्षमताओं, अकादशमक तैयारी और प्रस्ताशवत िोध योजना को पूरा करने की क्षमताको साशबत करना होगा। इस उद्देश्य के शलए शवद्यार्थी को व्यापक मौस्िक परीक्षा देने केशलए शवद्यार्थी िोध सशमशत के समक्ष उपस्थस्थत होना होगा। शवद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत िोध प्रस्तावके संदभय में शवद्यार्थी िोध सशमशत उसका मूल्ांकन करेगी।

(ि)यशद सशमशत ने शवद्यार्थी का मूल्ांकन कर शलया है, वह शनम्नशलस्थित में से एक शसफाररिकरेगी:

(i)शवद्यार्थी ने व्यापक परीक्षा उिीणय कर ली है और िोध प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है;

(ii)शवद्यार्थी को अशतररक्त पाठ्यक्रम लेना होगा और शफर शवशनशदयष्ट् समयावशध के बादपुनः परीक्षा देनी होगी;

(iii)शवद्यार्थी को शवद्यार्थी िोध सशमशत द्वारा सुझाए गए संिोधन को िोध योजना मेंिाशमल करना होगा तर्था शवशनशदयष्ट् समयावशध में िोध प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करनाwill be.

(c)यशद शकसी शवद्यार्थी का पररणाम ि(ii) या ि(iii) या, दोनों, जो भी लागू हो, में आता है,शवद्यार्थी को व्यापक परीक्षा में पुनः उपस्थस्थत होना होगा।

(d)शवद्यार्थी को अशधकतम दो प्रयासों में तर्था छठे सेमेस्टर की िुरुआत से पहले व्यापकपरीक्षा उिीणय करनी होगी। बिते दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में न हों।

(e)यशद कोई शवद्यार्थी शनधायररत समय तक परीक्षा उिीणय करने में असफल रहता है, तो उसेसमय में शवस्तार के शलए शवद्यार्थी िोध सशमशत से शलस्थित रूप से संपकय करना होगा।

(f)यशद कोई शवद्यार्थी िोध सशमशत मामले की योग्यता के बारे में आश्वस्त है, वह उसेअशधकतम छह महीने का शवस्तार अनुमत करेगी और संकायाध्यक्ष को सूशचत करेगी।शवद्यार्थी को शवस्ताररत अवशध में व्यापक परीक्षा उिीणय करने के शलए, उपरोक्त (घ) में शदएगए प्रावधानों के अशतररक्त, केवल एक अवसर प्राप्त होगा।

(six)यशद कोई शवद्यार्थी शवस्ताररत अवशध के दौरान भी व्यापक परीक्षा उिीणय करने में असफलरहता है तो उसका रशजस्टरीकरण रद्द कर शदया जाएगा।

29.सलाहकार :

(K)शवभागाध्यक्ष, शवभाग के संकाय सदस्यों के परामिय से, प्रवेि के चार सप्ताह के भीतरशवद्यार्थी की वरीयता को ध्यान में रिते हुए प्रत्येक शवद्यार्थी के शलए सलाहकार शनयुक्तकरेंगे;

(ि)सलाहकार संस्थान का पूणयकाशलक संकाय सदस्य होगा;

(c)यशद संयुक्त सलाहकार शनयुक्त करने की आवश्यकता है तो सलाहकार प्रस्ताव कोसंकायाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो इसे अंशतम स्वीकृशत के शलए अध्ययन एवं िोधबोडय के समक्ष रिेगा। संस्थान के अंदर या बाहर से दो से अशधक संयुक्त सलाहकारशनयुक्त नहीं शकए जाएँगे;

(d)यशद आवश्यक हो तो संयुक्त सलाहकार की शनयुस्थक्त अनंशतम रशजस्टरीकरण के अठारहमहीने के भीतर की जाएगी;

(e)संस्थान के भीतर से शवद्यार्थी को दो से अशधक सलाहकार नहीं शदए जाएँगे। बिते शक यशदसलाहकार संस्थान में एक वषय या उससे अशधक समय तक लगातार उपलब्ध न हो तोउपरोक्त प्रशतबंध लागू नहीं होगा;

(f)प्रवेि के बाद पहले चार सप्ताह के दौरान मास्टर छात्रों के शलए सलाहकार की शनयुस्थक्तकी जाएगी; तर्था

(six)यशद सलाहकार, शसनॉस्थिस के अनुमोदन से पहले सेवाशनवृशि/त्यागपत्र/मृत्यु/संस्थान सेलंबी अनुपस्थस्थशत के कारण उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शवद्यार्थी के शलए एक नया सलाहकारशनयुक्त शकया जाएगा:

बिते शक यशद शसनॉस्थिस के अनुमोदन के पश्चात ऐसी स्थस्थशत उत्पन्न होती है, तो िोधको मूल रूप से शनयुक्त सलाहकार के अधीन पूरा हुआ माना जाएगा। िेष आवश्यकताओंको पूरा करने के शलए शवभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष और शनदेिक की सहमशत से एकप्रिासशनक सलाहकार शनयुक्त शकया जाएगा। मूल रूप से शनयुक्त सलाहकार को मौस्थिकबचाव सशमशत के सदस्य के रूप में आमंशत्रत शकया जाएगा, लेशकन आमंत्रण स्वीकार करनेमें असमर्थयता की स्थस्थशत में, प्रिासशनक सलाहकार ही सलाहकार के रूप में कायय करेगा।

संकायाध्यक्ष और शनदेिक की संतुशष्ट् के शलए प्रिासशनक आवश्यकताओं के अंतगयतपीएचडी छात्रों को अलग सलाहकार के अधीन पुनः आबंशटत करने की अनुमशत दीजाएगी। संबंशधत शवषय में बदलाव की अनुमशत दी जा सकती है।

30.प्रगशि की शनगरानी:

(K)प्रत्येक शवद्यार्थी को सेमेस्टर के अंत में अपने पाठ्यक्रम कायय, िोध और मौस्थिक परीक्षा कीप्रगशत ररपोटय अपने सलाहकार को प्रस्तुत करनी होगी। सलाहकार, प्रगशत ररपोटय परशवचार करने के शलए अशत िीघ्र शवद्यार्थी िोध सशमशत की बैठक बुलाएगा।

(ि)प्रगशत ररपोटय का मूल्‍ांकन करने के बाद शवद्यार्थी िोध सशमशत शनम्नशलस्थित में से एक कीशसफारिर करेगी:

(i)रशजस्टरीकरण जारी रहेगा;
(ii)रशजस्टरीकरण जारी रिना सुझाए गए सुधारों को िाशमल करने के अधीन है;
तर्था(iii)रशजस्टरीकरण समाप्त शकया जाए।

31.िोध शनबंध/र्थीशसस की िैयारी और प्रस्तुशि:

(क) मास्टसस कायसक्रम:

(i)यशद शकसी शवद्यार्थी ने पररयोजना कायय पूरा कर शलया है तो उसे शबना शजल्द (अनबाउंड)वाला िोध शनबंध प्रस्तुत करना होगा, उसे फाइल कवर में उशचत रूप से सुरशक्षत करनाहोगा और शवद्यार्थी िोध सशमशत के समक्ष कायय प्रस्तुत करना होगा; तर्था

(ii)यशद शवद्यार्थी िोध सशमशत कायय को स्वीकृशत दे देती है तो शवद्यार्थी को संस्थान द्वाराशनधायररत प्रारूप में िोध शनबंध तैयार करना होगा और शनयत शतशर्थ तक हाडयबाउंड र्थीशससकी चार प्रशतयां जमा करनी होंगी।

(ख) पी.एच.डी. कायसक्रम:

(i) यशद शकसी शवद्यार्थी ने िोध पूरा कर शलया है तो वह अपना कायय शवद्यार्थी िोध सशमशत के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ii)यशद शवद्यार्थी िोध सशमशत िोध कायय को स्वीकृशत देती है तो वह शवद्यार्थी, िोध सशमशत के सलाहकार के माध्यम से सभी प्रकार से पूणय शसनॉस्थिस प्रस्तुत करेगा;

(iii)यशद शवद्यार्थी िोध सशमशत शसनॉस्थिस को मंजूरी देती है तो शवद्यार्थी को स्वीकृशत कीशतशर्थ से छह महीने के भीतर र्थीशसस जमा करनी होगी। हालांशक, शविेष पररस्थस्थशतयोंमें, संकायाध्यक्ष की शसफारिर और शनदेिक द्वारा अनुमोशदत होने पर इस अवशध कोअशधकतम एक वषय तक बढाया जा सकता है; तर्था

(iv)शवद्यार्थी को शबना शजल्द (अनबाउंड) वाली र्थीशसस की चार प्रशतयां फाइल कवर में उशचत रूप से सुरशक्षत करके प्रस्तुत करनी होंगी।

पीएचडी शवद्यार्थी को रशजस्टरीकरण की शतशर्थ से पांच वषय के भीतर र्थीशसस जमाकरानी होगी। अध्ययन एवं ि◌ोध बोडय की मंजूरी से इस अवशध को सात वषय तकबढाया जा सकता है।

32.परीक्षकों का पैनल –

(K) एम.एस. (फामास.)/एम.फामास./एम.टेक.(फामास.)/एम.बी.ए.(फामास): शवद्यार्थी ि◌ोध सशमशत के सदस्य ि◌ोध शनबंध के परीक्षकों का पैनल होगा।

(b) पी.एच.डी. कायसक्रम:

(i) सलाहकार, शवद्यार्थी ि◌ोध सशमशत के परामिय से संकायाध्यक्ष को प्रत्येक शवद्यार्थी के शलए छह शविेषज्ञों के पैनल की शसफाररि करेगा। इनमें से तीन शविेषज्ञ शवदेि◌ से होंगे; तर्था

(ii)यशद शवद्यार्थी पीएचडी र्थीशसस जमा करता है तो संकायाध्यक्ष र्थीशसस के मूल्◌ा◌ंकन के शलए पैनल में से दो शविेषज्ञों को नाशमत करेगा। इनमें से एक शविेषज्ञ शवदेि◌ से will be.

33.ि◌ोध शनबंध/र्थीशसस का मूल्◌ा◌ंकन -

(K) मास्टसस ि◌ोध शनबंध:

मास्टसय ि◌ोध शनबंध का मूल्◌ा◌ंकन शवद्यार्थी ि◌ोध सशमशत द्वारा शकया जाएगा।

(b) पी.एच.डी. र्थीशसस:

(i)पीएचडी र्थीशसस का मूल्◌ा◌ंकन दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शकया जाएगा। परीक्षकों में से एक शवदेि◌ से होगा;

(ii)बाह्य परीक्षक से अनुरोध शकया जाएगा शक वह र्थीशसस का मूल्◌ा◌ंकन करें और शनधायररत समयावशध के भीतर मूल्◌ा◌ंकन ररपोटय संकायाध्यक्ष को भेजें;

(iii)यशद बाह्य परीक्षकों के बीच मतभेद हो तो संकायाध्यक्ष र्थीशसस के मूल्◌ा◌ंकन के शलए तीसरे परीक्षक की शनयुस्थक्त करेगा;

(iv)यशद बाह्य परीक्षक पीएचडी र्थीशसस को स्वीकृशत देते हैं तो मौस्थिक परीक्षा आयोशजत करने की व्यवस्था की जानी चाशहए। जहां बाह्य परीक्षक पुनः प्रस्तुत करने की अनुि◌ंसा करते हैं तो संि◌ोधन की अनुमशत की संख्या को ध्यान में न रिते हुए र्थीशसस को अशधकतम दो वषों की अवशध में प्रस्तुत शकया जाना चाशहए।

34.ि◌ोध शनबंध/र्थीशसस का पक्ष लेना:

(K) मास्टसस कायसक्रम:

(i) यशद शकसी शवद्यार्थी को ि◌ोध शनबंध प्रस्तुत करने की अनुमशत दी गई है तो उसे ि◌ोध शनबंध के पक्ष में शवशनशदयष्ट् शतशर्थ को मौस्थिक परीक्षा में उपस्थस्थत होना होगा;

(ii) परीक्षा के शलए शवद्यार्थी ि◌ोध सशमशत, परीक्षक बोडय होगी;

(iii)बोडय संकायाध्यक्ष को इस मौस्थिक परीक्षा का पररणाम सूशचत करेगा, शजसमें यह होगाशक शवद्यार्थी ने परीक्षा उिीणय कर ली है या शवद्यार्थी को कुछ संि◌ोधन करने कीआवश्यकता है या शवद्यार्थी को बाद में शवशनशदयष्ट् शतशर्थ पर शफर से मौस्थिक परीक्षा मेंउपस्थस्थत होना होगा;

(iv)यशद शवद्यार्थी को कुछ संि◌ोधन करने के शलए कहा गया है और उसने ऐसा शकया है, तोसलाहकार के माध्यम से बोडय के ध्यान में लाया जाएगा। यह संतुष्ट् होने के बाद शकबोडय के शनदेि◌ों का पालन शकया गया है, बोडय संकायाध्यक्ष को सूशचत करेगा शकशवद्यार्थी ने परीक्षा उिीणय कर ली है; तर्था

(v) यशद शवद्यार्थी पुनः बोडय के समक्ष मौस्थिक परीक्षा के शलए उपस्थस्थत होता है और सफलतापूवयक ि◌ोध प्रबंध का पक्ष लेता है, तो बोडय संकायाध्यक्ष को सूशचत करेगा शक शवद्यार्थी ने परीक्षा उिीणय कर ली है।

(b) पी.एच.डी. कायसक्रम:

(i) यशद शकसी शवद्यार्थी की र्थीशसस स्वीकार कर ली गई है तो उसे र्थीशसस का पक्ष लेने के शलए परीक्षक बोडय के समक्ष मौस्थिक परीक्षा में उपस्थस्थत होना होगा;

(ii) मौस्थिक परीक्षा लेने के शलए परीक्षकों के बोडय में शनम्नशलस्थित ि◌ाशमल होंगे: संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होंगे, दो बाह्य परीक्षकों में से एक, सलाहकार, शवभागाध्यक्ष और शवभागाध्यक्ष के सलाहकार होने की स्थस्थशत में शवभाग से एक संकाय सदस्य। यशद संकायाध्यक्ष सलाहकार हैं, तो शनदेि◌क या उनके द्वारा नाशमत व्यस्थक्त अध्यक्ष होंगे। दो बाह्य परीक्षकों में से शकसी एक के उपलब्ध न होने की स्थस्थशत में, संकायाध्यक्ष धारा 32(ि◌) में उस्थिस्थित परीक्षकों के पैनल से अशधमानतः अन्य परीक्षक शनयुक्त करेगा;

(iii) बोडय, संकायाध्यक्ष को परीक्षा का पररणाम प्रस्तुत करेगा शक शवद्यार्थी ने परीक्षा उिीणय कर ली है या र्थीशसस में कुछ संि◌ोधन ि◌ाशमल शकए जाने की आवश्यकता है या शवद्यार्थी को बाद में शवशनशदयष्ट् शतशर्थ पर शफर से मौस्थिक परीक्षा के शलए उपस्थस्थत होनाहोगा या शवद्यार्थी शडग्री प्रदान करने योग्य नहीं है;

(iv) यशद शकसी शवद्यार्थी को परीक्षक मंडल के सुझावों को ि◌ाशमल करने की सलाह दी गई है तो सलाहकार द्वारा इसका सत्यापन शकया जाएगा। यह संतुष्ट् होने के बाद शक प्रस्ताशवत सुझावों को ि◌ाशमल कर शलया गया है, सलाहकार इसके बारे में संकायाध्यक्ष को सूशचत करेगा; तर्था

(v) यशद शकसी शवद्यार्थी को परीक्षक बोडय के समक्ष मौस्थिक परीक्षा के शलए पुनः उपस्थस्थत होना आवश्यक है, और वह सफलतापूवयक र्थीशसस का पक्ष लेता है, तो बोडय संकायाध्यक्ष को सूशचत करेगा शक शवद्यार्थी ने परीक्षा उिीणय कर ली है।

शवद्यार्थी को परीक्षा उिीणय होने का अस्थायी प्रमाण पत्र तब जारी शकया जाएगा जब वहअपने ि◌ोध शनबंध/र्थीशसस की शजल्द बंद (बाउंड) तीन प्रशतयां जमा करेगा।

35.शडग्री प्रदान करना:

यशद शकसी शवद्यार्थी ने:

(क) कोई बकाया नहीं है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत शकया हो;

(ि◌) मौस्थिक परीक्षा उिीणय की हो; और

(c)ि◌ोध शनबंध की तीन शजल्दबंद प्रशतयां प्रस्तुत की हो, प्रबंधकाररणी सशमशत (सीनेट) ि◌ासीमंडल को शडग्री प्रदान करने के शलए शसफारिर करेगी।

36.पोस्ट डॉक्टरल ि◌ोध:

पोस्ट-डॉक्टरल अभ्यर्थी (फेलो) को ि◌ोध कायय के उद्देश्य से कुछ ि◌ोध पररयोजनाओं में ि◌ाशमलशकया जाएगा।

37.पाठ्यक्रम शवकास:

(क) वैश्वीकरण के कारण गुणविापूणय शिक्षा की मांग कई गुना बढ गई है। पाठ्यक्रम को अद्यशततकरना और बेहतर बनाना एक आवश्यकता बन गई है। गुणविापूणय शिक्षा की मांग को पूरा करनेके शलए संस्थान पाठ्यक्रम को लगातार संिोशधत करके इसे समान रूप से अग्रसर बनाए रिनेका प्रयास करेगा;

(ि) संस्थान का उद्योग के सार्थ शनरंतर संपकय रहेगा। संस्थान-उद्योग संपकय को लाभकारी बनाने के शलए उद्योग के व्यावसाशयकों को पाठ्यक्रम शवकास से जोड़ा जाएगा;

(c)वैश्वीकरण की चुनौशतयों का सामना करने के शलए राष्ट्रीय और अंतरायष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को प्रभावी तरीके से आगे बढाया जाएगा; तर्था

(घ) संस्थान गशतील पाठ्यक्रम शवकशसत करने के शलए प्रभावी शिक्षण से जुड़ी सभी आधुशनक तकनीकों को अपनाएगा।

38.प्रशिक्षण एवं सिि शिक्षा कायसक्रम:

औषध से जुड़े लोगों को िोध में नवीनतम शवकास के संबंध में अद्यशतत रिने की अपनीप्रशतबद्धताओं को पूरा करने के शलए, संस्थान समय-समय पर, शनम्नशलस्थित अनुसार लघु अवशधपाठ्यक्रम आयोशजत करेगा:

(क) औषध उद्योग से जुड़े व्यस्थक्तयों के शलए प्रशिक्षण काययक्रम/काययिालाएं; और

(ि) कॉलेजों और शवश्वशवद्यालयों में औषध शिक्षा से जुड़े व्यस्थक्तयों के शलए ररफ्रेिर पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन स्कूल और सेशमनार।

39.छाकावास आवास:

सभी शवद्यार्थी, छात्रावास आवास के शलए पात्र होंगे और उपलब्धता के आधार पर उन्हें आवास प्रदान शकया जाएगा। आवास के शलए िुल्क समय-समय पर प्रबंधकाररणी सशमशत (सीनेट) द्वारा शवशनशदयष्ट् शकया जाएगा।

40.सामान्य:

(K) इस अध्यादेि में शनशहत शकसी भी बात के बावजूद, शवद्याशर्थयों पर प्रबंधकाररणी सशमशत (सीनेट) द्वारा समय-समय पर शनधायररत शनयमों और प्रशक्रयाओं का िासन होगा; तर्था

(ि) इस अध्यादेि की व्याख्या के संबंध में शकसी भी संदेह या शववाद की स्थस्थशत में प्रबंधकाररणी सशमशत (सीनेट) के अध्यक्ष का शनणय अंशतम होगा।